राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:–1369/2011

पीठासीन अधिकारी:– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रार्थी:–

हरकाराम पुत्र केशुराम जाति जाट निवासी भैसेर कोटवाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. खमादेवी पत्नि हमीराराम
2. भोमाराम पुत्र राजूराम
3. रमेश पुत्र राजुराम जातियान राईका निवासी भैसेर कोटवाली तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार, तिंवरी।

उपस्थिति:–

3. श्री घेवरराम विश्नोई वकील प्रार्थीगण।
4. अप्रार्थी 4 सरकारी पैरोकार उपस्थित।
5. अप्रार्थी संख्या 2 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक:–07.11.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 02.17 बीघा व खसरा नम्बर 173/1 रकबा 01.16 बीघा मौजा ग्राम भैसेर कोटवाली तहसील तिंवरी में आई हुई है। प्रार्थी के उक्त दोनों खसरान की भूमि एक ही चक में आई हुई है। उक्त भूमि के दक्षिणी तरफ पीराराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट की भूमि आई हुई है, जो निर्विवाद है। [illegible] उक्त भूमि के उत्तरी तरफ खसरा नम्बर 173/6 व 17[illegible] [illegible] आई हुई है तथा खमादेवी के उत्तर में अप्रार्थी [illegible] भूमि खसरा नम्बर [illegible]/5 व 173/4 आई हुई है। प्रार्थी की भूमि के उत्त[illegible] तरफ जो अप्रार्थी [illegible] 1 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

भूमि आई हुई है उनके बीच की सीमापर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सीमा को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तो प्रार्थी द्वारा अपने हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि के सीमांकन बाबत एक आवेदन तहसीलदार शिवरी के समक्ष प्रस्तुत किया जो आदेश कमांक 917–17 दिनांक 02.05.2017 को हल्का पटवारी भैसेर कोटवाली व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर मीमा ट्रेश की सहायता से सीमांकन कार्य करना शुरू किया तथा सीमांकन कार्य कर मौके पर कचे निशानात कायम किये गए तथा मौके पर सीमांकन फर्द तैयार की गई सीमांकन फर्द में यह स्पष्ट उल्लेख किया खसरा नम्बर 173/5, 173/4, 173/6, 173/7 का राजस्व रेकर्ड कुल रकबा जमबांदी अनुसार 01.06 बीघा है। जबकि मौके पर 1.13 बीघा पाया तथा निष्कर्ष के रूप मे यह उल्लेख कर रखा है कि प्रार्थी हरकाराम पुत्र केसुराम के खसरा नम्बर 173/1 व खसरा नम्बर 173 में 7 बिस्वा भूमि कम है। उक्त सीमांकन कार्य अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया जाकर मौके पर उपस्थित पक्षकारान व मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये गये जो मौका फर्द से स्पष्ट है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पत्थर रोपकर पत्थर गढ़ी करने लगा तो अप्रार्थीगण ने रोक दिया। अतः खसरा नम्बर 173 रकबा 02.17 बीघा, खसरा नम्बर 173/1 रकबा 01.16 बीघा ग्राम भैसेर कोटवाली तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 173/6 रकबा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 173/7 रकबा 07 बिस्वा ग्राम भैसेर कोटवाली तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 173/5 रकबा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 173/4 रकबा 02 बिस्वा का सही सीमांकन कार्य कर प्रार्थी व अप्रार्थी 1 के मध्य की सीमा पर पत्थर गढी किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे तथा आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस व्यवस्था दिलवाई जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मौका फर्द दिनाक 08.08.2018 तथा राजस्व रेकर्ड मय नक्शा के पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण पर जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त जो शामिल मिसल किए गए। अप्रार्थीगण पर जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे, न्यायालय समय तक अप्रार्थीगण को रूक–रूक कर तीन बार आवाजे लगाई गई, लेकिन अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आये अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिसमे वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को दोहराया गया है [illegible]

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों [illegible] ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया, बहस पर मनन किया, [illegible] है कि चूंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा न ही उपस्थित आये अतः एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। मौका फर्द दिनांक 08.08.2018 अनुसार खसरा नम्बर 173 व 173/1 हरकाराम पुत्र केसूराम जाति जाट का जमाबंदी में कुल रकबा 04.13 बिघा दर्ज है, जबकि नक्शानुसार सीमांकन करने पर उक्त खसरों का मौके पर कब्जे में कुल रकबा 04.06 बीघा पाया गया इसके पश्चात खसरा नम्बर 173/2 173/3 के क्षैत्रफल की गणना अनुसार पीराराम पुत्र भगवानाराम जाट के नाम दर्ज है का जमाबंदी में कुल रकबा 05.19 बीघा है मौके पर कब्जे में रकबा 05. 19 पाया गया। इसके बाद मूल खसरा नम्बर 173 का शेष भाग जो कि खसरा नम्बर 173/5, 173/4, 173/6, 173/7 है का कुल करबा जमाबंदी में 01.06 बीघा दर्ज है की गणना भू अभि. नि. मांडियाई कल्लां द्वारा द्वारा की गई। खसरा नम्बर 173/5, 173/4, 173/6, 173/7 का मौके पर क्षैत्रफल 01.13 बीघा पाया गया अतः निष्कर्षतः हरकाराम पुत्र केसूराम के खसरा नम्बर 173/1 व 173 में 07 बिस्वा भूमि कम है। उक्त मौका फर्द का अध्ययन कर मनन किया गया । जिस अनुसार हमारे विनिश्चय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अखंडित है, प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि ग्राम भैसेर कोटवाली के खसरा नम्बर 173 रकबा 02.17 बीघा, खसरा नम्बर 173/1 रकबा 01.16 बीघा ग्राम भैसेर कोटवाली तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 173/6 रकबा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 173/7 रकबा 07 बिस्वा ग्राम भैसेर कोटवाली तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नमबर 173/5 रकबा 03 बिस्वा व खसरा नम्बर 173/4 रकबा 02 बिस्वा का सही सीमांकन कार्य तहसीलदार तिंवरी कर प्रार्थी व अप्रार्थी 1 के मध्य की समा पर पत्थर गढी कामय करें तथा मौके पर शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा हो तो आवश्यकतानुसार पुलिस इमदाद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनाक 07.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:50:28 IST
Reason: SelfAttested

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

Scanned by CamScanner